कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी

सख्यांक/4405-13 /प्रा0बि0 मान्यता/2015–2016 दिनॉक 30-5-2015

प्रबन्धक
रायल ब्लू पब्लिक स्कूल
सुल्तानपुर शहाबपुर बंकी बाराबंकी

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4)के अधीन विघालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र —

महोदय

के आवेदन और इस सम्बन्ध में विघालय के साथ पाश्चात्वर्ती पत्राचार /निरीक्षण के प्रतिनिर्देश और जांच अधिकारी की संस्तुत के आधार पर मै आप के विघालय को दिनॉक 01–7–2015 से दिनॉक 01–7–2018. तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से 08 अंग्रेजी माध्यम के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ !

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्याधीन है

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में के कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता /संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है!

2–विघालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपबंध2) के उपबंधो का पालन करेगा !

3–विघालय कक्षाओ में (या यथास्थिति 8 कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा !

4–पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विघालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विघालय एक पृथक बैंक खाता रखेंगा !

5–सोसाइटी /विघालय किसी कैफिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नही करेगा!

6–विघालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने सें इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेंगा

विघालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा !

(1)–प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विघालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विघालय से निष्कासित नही किया जायेगा!

(2)–किसी भी बालक को शरीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न नही किया जाएगा !
(3)–प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की उपेक्षा नही की जाएगी !
(4)–प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा !
(5)–अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ता ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विधार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा !
(6)–अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा (1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विधमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें !
(7)–अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नही करेंगे !
7–विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा !
8–विधालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विधालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेंगा !
अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है–

विधालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
कीडा- स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक--सह- कार्यालय- सह--भांडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9–विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विधालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी!
10–विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रायोजन के लिए किया जाता है !
11–विधालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860का21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोस न्यास द्वारा चलाया जा रहा है !

12–स्कूल को किसी व्यष्टि वयष्टियों के समूह या संगम किन्ही व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है !

13–विघालय के लेखाओं की किसी चार्टढ अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए ! प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिय

14–आंपके विधालय को आबंटित मान्यता कोड संख्याक बारा‌बंकी–11 है कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करे

15–विघालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय –समय पर शिक्षा निदेशक /जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपेक्षित हो और समुचित सरकार /स्थानीय प्राधिकारों के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबधी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए !

16–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए !

भवदीय

(पी0एन0सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी

पृ0सं0/ 4405-17 /दिनॉक तदैव 30/5/2015

प्रतिलिपिः निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1–सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) फैजाबाद
2–जिला विघालय निरीक्षक बाराबंकी
3–जिला समाज कंल्याण अधिकारी बाराबंकी
4–जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकरी बाराबंकी
5–जिला पिछडावर्ग कल्याण अधिकारी बाराबंकी
6–उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय बाराबंकी
7–नगर शिक्षा अधिकारी बाराबंकी
8–खण्ड शिक्षा अधिकारी बाराबंकी
9–कार्यालय पत्रावली

(पी0एन0 सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी